भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2650
(09 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा योजना के तहत रोजगार

2650. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डीः
श्री दीपक बैजः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) के अन्तर्गत उपलब्ध कराए गए 100 श्रम-दिवसों की तुलना में, श्रमिकों को कम श्रम-दिवसों का रोजगार प्रदान किया गया है;
(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान 'मनरेगा' योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को उपलब्ध कराए गए रोजगार के दिवसों की संख्या का अखिल भारतीय स्तर पर तेलंगाना सहित राज्य वार ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त योजना के अन्तर्गत कम श्रम-दिवस उपलब्ध कराए जाने के क्या कारण है;
(घ) क्या मनरेगा योजना के अन्तर्गत कम श्रम दिवसों के परिणामस्वरूप श्रमिकों अथवा असंगठित क्षेत्र की आय कम हो रही है और वे आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ङ): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा) में प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मजदूरी कार्य करने के इच्छुक हैं, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार दिया जाता है। विगत तीन वर्षों अर्थात 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान तेलंगाना सहित मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है। मनरेगा योजना ग्रामीण परिवारों को, जब बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध नहीं होता है, जीवन यापन हेतु आजीविका सुरक्षा का एक विकल्प प्रदान करती है। यह मांग आधारित कार्यक्रम है। कार्य की मांग वर्षा, मनरेगा योजना से इतर वैकल्पिक एवं लाभदायी रोजगार अवसर की उपलब्धता जैसे विभिन्न कारकों द्वारा प्रभावित होती है।

*****

लोक सभा में दिनांक 09.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 2650 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य	100 दिनों का रोजगार पूरा करने वाले परिवार (लाख में)		
		2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	5.83	5.95	8.10
2	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.003
3	असम	0.11	0.11	0.19
4	बिहार	0.14	0.16	0.25
5	छत्तीसगढ़	1.73	3.24	4.28
6	गोवा	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात	0.08	0.11	0.34
8	हरियाणा	0.03	0.04	0.04
9	हिमाचल प्रदेश	0.11	0.14	0.70
10	जम्मू एवं कश्मीर	0.35	0.36	0.38
11	झारखंड	0.37	0.58	0.26
12	कर्नाटक	1.96	0.30	2.12
13	केरल	1.13	1.17	4.42
14	मध्य प्रदेश	1.41	1.35	0.77
15	महाराष्ट्र	1.68	2.02	1.92
16	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
17	मेघालय	0.87	1.15	1.61
18	मिजोरम	0.57	0.00	0.82
19	नागालैंड	0.002	0.001	0.00
20	ओड़िशा	0.36	0.68	0.47
21	पंजाब	0.04	0.10	0.07
22	राजस्थान	4.27	2.28	5.88
23	सिक्किम	0.08	0.04	0.05
24	तमिलनाडु	13.21	1.50	2.60
25	तेलंगाना	1.76	2.04	2.27
26	त्रिपुरा	1.16	0.04	0.15
27	उत्तर प्रदेश	0.41	0.43	0.72
28	उत्तराखंड	0.26	0.22	0.26
29	पश्चिम बंगाल	2.00	5.58	13.38
30	अंडमान एवं निकोबार	0.01	0.00	0.002
31	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
32	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00
	कुल	**39.91**	**29.55**	**52.04**

स्रोतः www.nrega.nic.in